Government of Rajasthan

Parliamentary Affairs Department

No. F 7(1) Sansad/85 *Jaipur, 27 January, 2007*

Notification

In exercise of the powers conferred by section 11 read with subsection 1 (a) and (2) of section 6-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Member Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Officers (Furnishing and Maintenance of Residence) Rules, 2006.

(2) They shall come into force at once.

2. Definitions.—In these rules, unless the subject or context otherwise requires;

(a) "Act" means the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act No. 6 of 1957);

(b) "Official residence" means a building set apart or allotted by the Government for the residence of the said officers; and

(c) Words and expression used but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Applicability.—These rules shall apply to the Speaker and Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, the Government chief whip, the Deputy Government Chief whip and the Leader of the opposition.

4. Furniture facilities and maintenance.—When a building is earmarked or allotted as an official residence of the Speaker, the Deputy Speaker, the Government Chief Whip, the Deputy Government Chief Whip and the Leader of the Opposition, the maximum expenditure to be incurred on the initial furnishing thereof shall be limited to the amount equivalent to the expenditure permissible for a minister's official residence under the Rajasthan Ministers Official Residences (Use and Maintenance) Rules, 1966 as amended from time to time.

5. Repeal.—The Rajasthan Legislative Assembly Speaker's (Furnishing and Maintenance of Residence) Rules, 1990 is hereby repealed.

By Order of the Governor,

(Guman Singh)
Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

संख्या एफ 7(1) संसद/85 जयपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2007

अधिसूचना

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम सं. 6) की धारा 6-क की उप-धारा 1 (क) और (2) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा अधिकारी (निवास की सुसज्जा और रख-रखाव) नियम, 2006 है।
   (2) ये तुरन्त प्रवृत होंगे।
2. **परिभाषाएं.–** इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
   (क) ''अधिनियम'' से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम सं. 6) अभिप्रेत है;
   (ख) ''शासकीय निवास'' से उक्त अधिकारियों के निवास के लिए सरकार द्वारा पृथक् रखा गया या आवंटित कोई भवन अभिप्रेत है; और
   (ग) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गयेशब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. लागू होना.- ये नियम राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप-मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता पर लागू होंगे।

4. फर्नीचर सुविधा और रख-रखाव.– जब कोई भवन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप-मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता के शासकीय निवास के रूप में निश्चित या आवंटित कर दिया जाता है तो उसकी आरम्भिक सुसज्जा पर उपगत किया जाने वाला अधिकतम व्यय, समय-समय पर यथा-संशोधित राजस्थान मंत्री शासकीय निवास (उपयोग और रख-रखाव) नियम, 1966 के अधीन किसी मंत्री के शासकीय निवास के लिए अनुज्ञेय व्यय के समतुल्य रकम तक सीमित होगा।

5. निरसन.– राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष (निवास की सुसज्जा और रख-रखाव) नियम, 1990 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

गुमान सिंह
शासन सचिव।